

4.1 PERFORMANCE OF CONTRACT	4.1 संविदा का पालन
<p>Meaning: 'Performance of Contract' means fulfilment of obligations to the contract. According to Section 37, the parties to a contract must either perform, or offer to perform, their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or by any other law.</p>	<p>अर्थ: 'अनुबंध का पालन का अर्थ है अनुबंध के प्रति दायित्वों का निर्वहन करना। धारा 37 के अनुसार, अनुबंध के पक्षकारों को अपने-अपने वचनों का पालन करना चाहिए या पालन करने का प्रस्ताव देना चाहिए, जब तक कि ऐसा पालन अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अंतर्गत माफ या क्षम्य न कर दिया गया हो।</p>
<p>Types: On the basis of Section 37, 'Performance of Contract' may be actual or attempted.</p>	<p>प्रकार: धारा 37 के आधार पर, 'संविदा का निष्पादन' वास्तविक या प्रयत्नित हो सकता है।</p>
<p>(a) Actual Performance: Where a party to a contract has done what he had undertaken to do or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed.</p>	<p>(क) वास्तविक निष्पादन: जब किसी संविदा का पक्षकार वह कार्य कर देता है जिसे करने का उसने वचन दिया था, अथवा पक्षकारों में से किसी ने संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन निर्धारित समय और निर्धारित तरीके से कर दिया हो।</p>
<p><b>Example 1:</b> X borrows ₹ 5,00,000 from Y with a promise to be paid after 1 month. X repays the amount on the due date. This is actual performance.</p>	<p><b>उदाहरण 1:</b> X ने Y से ₹ 5,00,000 उधार लिया और 1 महीने बाद भुगतान करने का वचन दिया। X ने नियत तिथि पर राशि का भुगतान कर दिया। यह वास्तविक पालन है।</p>
<p>(b) Offer to perform or attempted performance or tender of performance: It may happen sometimes, when the performance becomes due, the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance. This is an attempted performance as A the promisor has done what he was required to do under the contract.</p>	<p>(ख) निष्पादन का प्रस्ताव या निष्पादन का प्रयास अथवा निष्पादन की पेशकश: कभी-कभी ऐसा होता है कि जब निष्पादन का समय आता है, तब वचनदाता अपने दायित्व का निष्पादन करने की पेशकश करता है, लेकिन वचनग्राही उस निष्पादन को स्वीकार करने से इंकार कर देता है। यह प्रयासित निष्पादन कहलाता है क्योंकि वचनदाता ने वह सब कर दिया है जो उसे अनुबंध के अंतर्गत करना आवश्यक था।</p>
<p><b>Example 2:</b> A promises to deliver certain goods to B. A takes the goods to the appointed place during business hours but B refuses to take the delivery of goods. This is an attempted performance as A the promisor has done what he was required to do under the contract.</p>	<p>उदाहरण 2: A, B को कुछ निश्चित वस्तुएँ देने का वचन देता है। A व्यापारिक समय के दौरान उन वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर ले जाता है, लेकिन B वस्तुओं की डिलीवरी लेने से इंकार कर देता है। यह प्रयासित निष्पादन है क्योंकि वचनदाता A ने वह सब कर दिया जो उसे अनुबंध के अंतर्गत करना आवश्यक था।</p>

4.2 CONDITIONS TO BE SATISFIED FOR A VALID TENDER OR ATTEMPTED PERFORMANCE	4.2 वैध निविदा या प्रयत्नित निष्पादन के लिए पूर्ण की जाने वाली शर्तें
(i) It must be unconditional.	(i) यह बिना किसी शर्त के होना चाहिए।
<b>Example 3:</b> A offers to B to repay only the principal amount of the loan. This is not a valid tender since the whole amount of principal and interest is not offered.	<b>उदाहरण 3:</b> A, B को ऋण की केवल मूलधन राशि लौटाने का प्रस्ताव करता है। यह वैध निवेदन नहीं है क्योंकि मूलधन और ब्याज की पूरी राशि प्रस्तुत नहीं की गई है।
(ii) It must be made at proper time and place.	(ii) यह उचित समय और स्थान पर किया जाना चाहिए।
<b>Example 4:</b> If the promisor wants to deliver the goods at 2 a.m., this is not a valid tender unless it was so agreed.	<b>उदाहरण 4:</b> यदि वचनदाता प्रातः 2 बजे माल पहुँचाना चाहता है, तो यह वैध प्रस्तुति नहीं होगी, जब तक कि ऐसा सहमत न किया गया हो।
(iii) Reasonable opportunity to examine goods.	(iii) वस्तुओं की जाँच करने का उचित अवसर।
<b>Example 5:</b> A contract's to deliver B at his warehouse 1000 Kgs of wheat on certain date. A must bring the wheat to B's warehouse on the appointed day, under such circumstances that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is wheat of the quality contracted for, and that there are 1000 Kgs.	<b>उदाहरण 5:</b> A ने B के गोदाम में एक निश्चित तिथि पर 1000 किलोग्राम गेहूँ पहुँचाने का अनुबंध किया। A को निर्धारित दिन पर गेहूँ B के गोदाम में ऐसी परिस्थितियों में लाना होगा कि B को यह संतुष्ट करने का उचित अवसर मिल सके कि प्रस्तुत वस्तु अनुबंधित गुणवत्ता का गेहूँ है तथा उसकी मात्रा 1000 किलोग्राम है।
(iv) It must be for whole obligation.	(iv) यह पूर्ण दायित्व के लिए होना चाहिए।
<b>Example 6:</b> A singer enters into a contract with Y, the manager of a theatre to sing at his theatres two nights in every week during the next two months, and Y engaged to pay her ₹ 10,000 for each night's performance. On the sixth night, X wilfully absents herself from the theatre. Y is at liberty to put an end to the contract.	<b>उदाहरण 6:</b> एक गायिका Y, जो एक थिएटर का प्रबंधक है, के साथ यह अनुबंध करती है कि वह अगले दो महीनों तक प्रत्येक सप्ताह दो रात उसके थिएटर में गाना गाएगी, और Y प्रत्येक रात के प्रदर्शन के लिए उसे ₹10,000 देने के लिए सहमत होता है। छठी रात को X जानबूझकर थिएटर से अनुपस्थित रहती है। Y को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।
<b>Example 7:</b> A promises to deliver 100 bales of cotton on a certain day. On the agreed day and place 'A' offers to deliver 80 bales only. This is not a valid tender.	<b>उदाहरण 7:</b> 'A' एक निश्चित दिन 100 गांठ कपास देने का वचन देता है। तय दिन और स्थान पर 'A' केवल 80 गांठ देने की पेशकश करता है। यह वैध निविदा नहीं है।
4.3 BY WHOM A CONTRACT MAY BE PERFORMED	4.3 किसके द्वारा संविदा का पालन किया जा सकता है (धारा 40, 41)

<b>(SECTION 40, 41 AND 42)</b>	<b>और 42)</b>
The promise under a contract may be performed, as the circumstances may permit, by the promisor himself, or by his agent or his legal representative.	अनुबंध के अधीन किया गया वचन परिस्थितियों के अनुसार स्वयं वचनदाता द्वारा, अथवा उसके अभिकर्ता या उसके वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा पूरा किया जा सकता है।
1. Promisor himself: If there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This means contracts which involve the exercise of personal skill or diligence, or which are founded on personal confidence between the parties must be performed by the promisor himself.	"1. वचनदाता स्वयं: यदि अनुबंध में ऐसी कोई बात हो जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों का आशय था कि वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को स्वयं करना होगा। इसका अर्थ है कि वे अनुबंध जिनमें व्यक्तिगत कौशल या परिश्रम के प्रयोग की आवश्यकता होती है, अथवा जो पक्षकारों के बीच व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित होते हैं, उनका पालन वचनदाता द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए।"
<b>Example 8:</b> A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promisor himself.	<b>उदाहरण 8:</b> A, B के लिए एक चित्र बनाने का वचन देता है और इसका पालन स्वयं वचनदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए।
2. Agent: Where personal consideration is not the foundation of a contract, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it.	2. एजेंट: जहाँ व्यक्तिगत प्रतिफल किसी अनुबंध का आधार नहीं होता है, वहाँ वचनदाता या उसका प्रतिनिधि उसे पूरा करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
3. Legal Representatives: A contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regards any other contract the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract (Section 37, para 2). But their liability under a contract is limited to the value of the property they inherit from the deceased.	3. वैधानिक प्रतिनिधि: ऐसा अनुबंध जिसमें व्यक्तिगत कौशल का प्रयोग शामिल हो या जो व्यक्तिगत विचार पर आधारित हो, वचनदाता की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है। अन्य अनुबंधों के संबंध में, मृत वचनदाता के वैधानिक प्रतिनिधि उसे पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, जब तक कि अनुबंध से इसके विपरीत आशय प्रकट न हो (धारा 37, पैरा 2)। लेकिन किसी अनुबंध के अंतर्गत उनकी देयता मृत व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित रहती है।
<b>Example 9:</b> A promises to B to pay ₹ 10,000 on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his representative must pay the money or employ some other	<b>उदाहरण 9:</b> A, B से यह वादा करता है कि कुछ निश्चित वस्तुओं की डिलीवरी होने पर वह ₹10,000 का भुगतान करेगा। A इस वादे का पालन स्वयं कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से B को धनराशि दिलवाकर भी करवा सकता है। यदि भुगतान के लिए निर्धारित समय से

~~~~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>person to pay the money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to pay ₹10,000 to B's representative.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>पहले A की मृत्यु हो जाती है, तो उसका प्रतिनिधि धनराशि का भुगतान करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से भुगतान करवाएगा। यदि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय से पहले B की मृत्यु हो जाती है, तो B का प्रतिनिधि A को वस्तुएँ देने के लिए बाध्य होगा और A, B के प्रतिनिधि को ₹10,000 देने के लिए बाध्य होगा।</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>Example 10:</b> A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on his behalf. If A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or by B.</p>                                                                                                                   | <p><b>उदाहरण 10:</b> A, B के लिए एक निश्चित मूल्य पर एक चित्र बनाने का वचन देता है। A स्वयं उस वचन का पालन करने के लिए बाध्य है। वह किसी अन्य चित्रकार से अपनी ओर से चित्र नहीं बनवा सकता। यदि चित्र बनाने से पहले A की मृत्यु हो जाती है, तो उस अनुबंध को न तो A के प्रतिनिधि द्वारा और न ही B द्वारा लागू कराया जा सकता है।</p>                                                                                                                                |
| <p>4. Third persons: Effect of accepting performance from third person- Section 41: When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promisor. That is, performance by a stranger, if accepted by the promisee, his results in discharging the promisor, although the latter has neither authorised nor ratified the act of the third party.</p>               | <p>4. तृतीय व्यक्ति: तृतीय व्यक्ति से निष्पादन स्वीकार करने का प्रभाव — धारा 41: जब वचनग्राही किसी तृतीय व्यक्ति से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है, तब वह बाद में उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कर सकता। अर्थात्, यदि किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया गया निष्पादन वचनग्राही द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उससे वचनदाता मुक्त हो जाता है, यद्यपि वचनदाता ने न तो उस तृतीय व्यक्ति के कार्य को अधिकृत किया हो और न ही उसका अनुमोदन किया हो।</p> |
| <p><b>Example 11:</b> A received certain goods from B promising to pay ₹ 10,000/-. Later on, A expressed his liability to make payment. C who is known to A pays ₹ 60,000/- to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to sue A for the amount of ₹ 100,000/-. Therefore, in the present instance, B can sue only for the balance amount i.e., ₹ 40,000/- and not for the whole amount.</p> | <p>उदाहरण 11: ए ने बी से कुछ माल प्राप्त किया और ₹10,000/- देने का वचन दिया। बाद में, ए ने भुगतान करने की अपनी देयता स्वीकार की। सी, जो ए को जानता है, ए की ओर से बी को ₹60,000/- का भुगतान कर देता है। हालांकि, ए को इस भुगतान की जानकारी नहीं थी। अब बी, ए के विरुद्ध ₹100,000/- की राशि के लिए वाद दायर करना चाहता है। अतः, वर्तमान स्थिति में बी केवल शेष राशि अर्थात् ₹40,000/- के लिए ही वाद दायर कर सकता है, पूरी राशि के लिए नहीं।</p>                   |
| <p>5. Joint promisors Section 42): When two or more persons have made a joint promise, then unless a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>5. संयुक्त वचनदाता (धारा 42): जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो, तब जब तक संविदा से</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

~~~~~

<p>contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfil the promise. If any of them die, his legal representatives must, jointly with the surviving promisors, fulfil the promise. If all of them die, the legal representatives of all of them must fulfil the promise jointly.</p>	<p>विपरीत आशय प्रकट न हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को जीवित वचनदाताओं के साथ संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा। यदि उन सभी की मृत्यु हो जाए, तो उन सभी के विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा।</p>
<p><b>Example 12:</b> 'A', 'B' and 'C' jointly promised to pay ₹ 60,000 to 'D'. Here 'A,' 'B' and 'C' must jointly perform the promise. If 'A' dies before performance, then his legal representatives must jointly with 'B' and 'C' perform the promise, and so on. And if all the three (i.e., 'A,' 'B' and 'C') die before performance, then the legal representatives of all must jointly perform the promise.</p>	<p>उदाहरण 12: 'A', 'B' और 'C' ने संयुक्त रूप से 'D' को ₹ 60,000 देने का वचन दिया। यहाँ 'A', 'B' और 'C' को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा। यदि पालन से पहले 'A' की मृत्यु हो जाती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को 'B' और 'C' के साथ संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा, और इसी प्रकार आगे भी। और यदि पालन से पहले तीनों (अर्थात् 'A', 'B' और 'C') की मृत्यु हो जाती है, तो सभी के विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा।</p>
<p><b>4.4 DISTINCTION BETWEEN SUCCESSION AND ASSIGNMENT</b></p>	<p><b>4.4 उत्तराधिकार और हस्तांतरण के बीच अंतर</b></p>
<p>Distinction between two legal concepts, viz., succession and assignment may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded to by process of law, the both burden and benefits attaching to the contract, may sometimes devolve on the legal heir. Suppose, a son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his life-time. But if the debts owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son then he would not be called upon to pay the excess. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him.</p>	<p>उत्तराधिकार और हस्तांतरण, अर्थात् दो विधिक अवधारणाओं के बीच का अंतर सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। जब किसी संविदा के लाभ विधि की प्रक्रिया द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं, तब कभी-कभी उस संविदा से संबंधित दायित्व और लाभ दोनों ही विधिक उत्तराधिकारी पर आ जाते हैं। मान लीजिए, किसी पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है, तो वह अपने पिता के जीवनकाल के दौरान लिए गए ऋणों और दायित्वों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु यदि पिता के ऋण, पुत्र द्वारा प्राप्त संपत्ति के मूल्य से अधिक हों, तो पुत्र को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पुत्र की देयता केवल उसी सीमा तक होगी जितनी संपत्ति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।</p>

<p>In the matter of assignment, however the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereunder. This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt.</p>	<p>हालाँकि, समनुदेशन के मामले में अनुबंध के केवल लाभों का ही समनुदेशन किया जा सकता है, उसके अंतर्गत दायित्वों का नहीं। इसका कारण यह है कि जब दायित्व का समनुदेशन किया जाता है, तब उसमें एक तृतीय पक्ष शामिल हो जाता है। अतः, कोई देनदार अपने ऋण का भुगतान करने के दायित्व को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपकर स्वयं को अपने लेनदार के प्रति दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता।</p>
<p>On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realise the debt from the debtor but where the benefit is coupled with a liability or when a personal consideration has entered into the making of the contract then the benefit cannot be assigned.</p>	<p>दूसरी ओर, यदि कोई लेनदार किसी वचन के लाभ का हस्तांतरण करता है, तो वह इस प्रकार हस्तांतरिती को देनदार से ऋण वसूल करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन जहाँ लाभ किसी दायित्व से जुड़ा हो या जब अनुबंध के निर्माण में व्यक्तिगत प्रतिफल सम्मिलित हो, वहाँ उस लाभ का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।</p>
<p><b>4.5 LIABILITY OF JOINT PROMISOR &amp; PROMISEE</b></p>	<p><b>4.5 संयुक्त वचनदाता एवं वचनग्राही की देयता</b></p>
<p><b>Devolution of joint liabilities (Section 42)</b></p>	<p><b>संयुक्त दायित्वों का उत्तराधिकार (धारा 42)</b></p>
<p>If two or more persons have made a joint promise, ordinarily all of them during their life-time must jointly fulfil the promise. After death of any one of them, his legal representative jointly with the survivor or survivors should do so. After the death of the last survivor the legal representatives of all the original co-promisors must fulfil the promise.</p>	<p>यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया है, तो सामान्यतः उन सभी को अपने जीवनकाल में संयुक्त रूप से उस वचन का पालन करना चाहिए। उनमें से किसी एक की मृत्यु के बाद, उसका विधिक प्रतिनिधि जीवित बचे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसा करेगा। अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु के बाद, सभी मूल संयुक्त वचनदाताओं के विधिक प्रतिनिधियों को उस वचन का पालन करना होगा।</p>
<p><b>Example 13:</b> Y and Z who had jointly borrowed money must, during their life-time jointly repay the debt. Upon the death of X his representative, say, S along with Y and Z should jointly repay the debt and so on. If in an accident all the borrowers X, Y and Z dies then legal representatives must fulfil the promise and repay the borrowed amount. This rule is applicable only if the contract reveals no contrary intention.</p>	<p><b>उदाहरण 13:</b> Y और Z जिन्होंने संयुक्त रूप से धन उधार लिया था, उन्हें अपने जीवनकाल में संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करना होगा। X की मृत्यु होने पर उसका प्रतिनिधि, मान लीजिए S, Y और Z के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करेगा और इसी प्रकार आगे भी। यदि किसी दुर्घटना में सभी उधारकर्ता X, Y और Z की मृत्यु हो जाती है, तो उनके विधिक प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा और उधार ली गई राशि का भुगतान करना</p>

	होगा। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब अनुबंध में इसके विपरीत कोई आशय प्रकट न किया गया हो।
We have seen that Section 42 deals with voluntary discharge of obligations by joint promisors. But if they do not discharge their obligation on their own volition, what will happen? This is what Section 43 resolves.	हमने देखा है कि धारा 42 संयुक्त वचनदाताओं द्वारा दायित्वों के स्वैच्छिक निर्वहन से संबंधित है। लेकिन यदि वे अपनी इच्छा से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? इसी बात का समाधान धारा 43 करती है।
Any one of joint promisors may be compelled to perform- Section 43	संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है - धारा 43
When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisors to perform the whole of the promise.	जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते हैं, तो विपरीत किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में, वचनग्राही ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को पूरे वचन का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है।
Each promisor may compel contribution - Each of two or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract.	प्रत्येक वचनदाता अंशदान के लिए बाध्य कर सकता है — दो या दो से अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से प्रत्येक, प्रत्येक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने साथ समान रूप से अंशदान करने के लिए बाध्य कर सकता है, जब तक कि अनुबंध से इसके विपरीत आशय प्रकट न हो।
In other words, if one of the joint promisors is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others.	दूसरे शब्दों में, यदि संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को पूरे अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह अन्य वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकता है।
Sharing of loss by default in contribution – If any one of two or more joint promisors makes default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares.	अंशदान में चूक होने पर हानि का वहन – यदि दो या दो से अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक अपने अंशदान में चूक करता है, तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को उस चूक से उत्पन्न हानि को समान भागों में वहन करना होगा।
<b>Explanation to Section 43</b>	<b>धारा 43 की व्याख्या</b>
Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal, payments made by the surety on behalf of the principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal.	इस धारा में निहित कोई भी बात प्रतिभू को अपने प्रधान की ओर से प्रतिभू द्वारा किए गए भुगतानों की वसूली अपने प्रधान से करने से नहीं रोकेगी, अथवा प्रधान को प्रधान द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में प्रतिभू से कुछ भी वसूल करने का अधिकार नहीं देगी।
<b>Example 14: A, B and C jointly</b>	<b>उदाहरण 14: A, B और C संयुक्त रूप</b>

<p>promise to pay D ₹ 3,00,000. D may compel either A or B or C to pay him ₹ 3,00,000.</p>	<p>से D को ₹ 3,00,000 देने का वचन देते हैं। D, A या B या C में से किसी एक को उसे ₹ 3,00,000 देने के लिए बाध्य कर सकता है।</p>
<p><b>Example 15:</b> A, B and C are under a joint promise to pay D ₹ 3,00,000. C is unable to pay anything A is compelled to pay the whole. A is entitled to receive ₹ 1,50,000 from B.</p>	<p><b>उदाहरण 15:</b> A, B और C, D को ₹ 3,00,000 भुगतान करने के लिए संयुक्त वचन के अधीन हैं। C कुछ भी भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए A पूरे धन का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। A, B से ₹ 1,50,000 प्राप्त करने का अधिकारी है।</p>
<p><b>Example 16:</b> X, Y and Z jointly promise to pay ₹ 6,000 to A. may compel either X or Y or Z to pay the amount. If Z is compelled to pay the whole amount; X is insolvent but his assets are sufficient to pay one-half of his debts. Z is entitled to receive ₹ 1,000 from X's estate and ₹ 2,500 from Y.</p>	<p>उदाहरण 16: X, Y और Z संयुक्त रूप से A को ₹ 6,000 देने का वचन करते हैं। A, X या Y या Z में से किसी एक को पूरी राशि चुकाने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि Z को पूरी राशि चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है और X दिवालिया है, परन्तु उसकी संपत्ति उसके ऋणों का आधा चुकाने के लिए पर्याप्त है, तो Z, X की संपत्ति से ₹ 1,000 तथा Y से ₹ 2,500 प्राप्त करने का अधिकारी होगा।</p>
<p>We thus observe that the effect of Section 43 is to make the liability in the event of a joint contract, both joint &amp; several, in so far as the promisee may, in the absence of a contract to the contrary, compel anyone or more of the joint promisors to perform the whole of the promise.</p>	<p>इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 43 का प्रभाव यह है कि संयुक्त अनुबंध की स्थिति में दायित्व संयुक्त तथा पृथक दोनों हो जाता है, क्योंकि वचनग्राही, विपरीत अनुबंध के अभाव में, संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को पूरे वचन के पालन के लिए बाध्य कर सकता है।</p>
<p>Effect of release of one joint promisor- Section 44</p>	<p>एक संयुक्त वचनदाता को मुक्त करने का प्रभाव – धारा 44</p>
<p>The effect of release of one of the joint promisors is dealt with in Section 44 which is stated below.</p>	<p>एक संयुक्त वचनदाता को मुक्त किए जाने का प्रभाव धारा 44 में वर्णित है, जो नीचे दी गई है।</p>
<p>Where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisors so released from responsibility to the other joint promisor or promisors.</p>	<p>जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो, तो वचनग्राही द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को मुक्त कर देने से अन्य संयुक्त वचनदाता या वचनदाता मुक्त नहीं होते, और न ही इस प्रकार मुक्त किए गए संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाता या वचनदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं।</p>
<p><b>Example 17:</b> 'A,' 'B' and 'C' jointly promised to pay ₹ 9,00,000 to 'D'. 'D' released 'A' from liability.</p>	<p><b>उदाहरण 17:</b> 'A', 'B' और 'C' ने संयुक्त रूप से 'D' को ₹9,00,000 देने का वचन दिया। 'D' ने 'A' को दायित्व से</p>

<p>In this case, the release of 'A' does not discharge 'B' and 'C' from their liability. They remain liable to pay the entire amount of ₹ 9,00,000 to 'D'. And though 'A' is not liable to pay to 'D', but he remains liable to pay to 'B' and 'C' i.e. he is liable to make the contribution to the other joint promisors.</p>	<p>मुक्त कर दिया। इस स्थिति में, 'A' को मुक्त करने से 'B' और 'C' अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते। वे 'D' को पूरे ₹9,00,000 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं। और यद्यपि 'A', 'D' को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, फिर भी वह 'B' और 'C' को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहता है, अर्थात वह अन्य संयुक्त वचनदाताओं को अंशदान देने के लिए उत्तरदायी है।</p>
<p><b>Rights of Joint Promisees</b></p>	<p><b>संयुक्त वचनग्राहियों के अधिकार</b></p>
<p>The law relating to Devolution of joint rights is contained in Section 45 which is reproduced below.</p>	<p>संयुक्त अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित विधि धारा 45 में निहित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।</p>
<p>“When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests, as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, with the representatives of all jointly.</p>	<p>“जब किसी व्यक्ति ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संयुक्त रूप से वचन किया हो, तब जब तक अनुबंध से विपरीत आशय प्रकट न हो, उस वचन के पालन का दावा करने का अधिकार उनके संयुक्त जीवनकाल के दौरान उन सभी के पास रहेगा, और उनमें से किसी एक की मृत्यु के बाद, उस मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि तथा जीवित बचे व्यक्ति या व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से रहेगा, तथा अंतिम जीवित बचे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, सभी के प्रतिनिधियों के पास संयुक्त रूप से रहेगा।”</p>
<p><b>Example 18:</b> A, in consideration of ₹ 5,00,000 rupees lent to him by B and C, promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day but dies. In such a case right to demand payment shall rest with B's legal representatives, jointly with C during C's life-time, and after the death of C, with the legal representatives of B and C jointly.</p>	<p>उदाहरण 18: A, B और C द्वारा उसे उधार दिए गए ₹5,00,000 रुपये के प्रतिफल में, B और C को संयुक्त रूप से यह वचन देता है कि वह एक निर्दिष्ट दिन पर उन्हें वह राशि ब्याज सहित वापस करेगा, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में भुगतान की मांग करने का अधिकार, C के जीवनकाल के दौरान B के विधिक प्रतिनिधियों तथा C को संयुक्त रूप से प्राप्त होगा, और C की मृत्यु के बाद, B तथा C के विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से प्राप्त होगा।</p>
<p><b>4.6 TIME AND PLACE FOR PERFORMANCE OF THE PROMISE</b></p>	<p><b>4.6 वचन के पालन का समय और स्थान</b></p>
<p>The law on the subject is contained in Sections 46 to 50 explained below:</p>	<p>इस विषय पर कानून धारा 46 से 50 में निहित है, जिनकी व्याख्या नीचे दी गई है:</p>
<p>(i) Time for performance of</p>	<p>(i) वचन के पालन के लिए समय, जहाँ</p>

~~~~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>promise, where no application is to be made and no time is specified - Section 46</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>कोई आवेदन किया जाना आवश्यक नहीं है और कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है - धारा 46</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p>Where, by the contract, a promisor is to perform his promise without application by the promisee, and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time.</p>                                                                                     | <p>जहाँ, संविदा के अनुसार, वचनदाता को वचनग्राही द्वारा आवेदन किए बिना अपने वचन का पालन करना हो, और पालन के लिए कोई समय निर्दिष्ट न किया गया हो, वहाँ उस दायित्व का पालन उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए।</p>                                                                      |
| <p><b>Explanation to Section 46</b> - The expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case.</p>                                                                                                                                  | <p><b>धारा 46 का स्पष्टीकरण</b> — "युक्तियुक्त समय" अभिव्यक्ति की व्याख्या किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।</p>                                                                                                                          |
| <p>(ii) Time and place for performance of promise, where time is specified and no application to be made - Section 47</p>                                                                                                                                                                         | <p>(ii) वचन के पालन के लिए समय और स्थान, जहाँ समय निर्दिष्ट हो और आवेदन किया जाना आवश्यक न हो - धारा 47</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>When a promise is to be performed on a certain day, and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee, the promisor may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed.</p> | <p>जब किसी वचन का पालन किसी निश्चित दिन किया जाना हो, और वचनदाता ने वचनग्राही के आवेदन के बिना ही उसका पालन करने का दायित्व लिया हो, तो वचनदाता उस दिन के सामान्य व्यापारिक समय के दौरान किसी भी समय तथा उस स्थान पर उसका पालन कर सकता है जहाँ उस वचन का पालन किया जाना चाहिए।</p> |
| <p><b>Example 19:</b> If the delivery of goods is offered say after 8.30 pm, the promisee may refuse to accept delivery, for the usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of business.</p>                                                           | <p><b>उदाहरण 19:</b> यदि वस्तुओं की डिलीवरी, मान लीजिए, रात 8:30 बजे के बाद दी जाती है, तो वचनग्राही डिलीवरी स्वीकार करने से इंकार कर सकता है, क्योंकि सामान्य व्यापारिक समय समाप्त हो चुका होता है। इसके अतिरिक्त, डिलीवरी व्यापार के सामान्य स्थान पर की जानी चाहिए।</p>         |
| <p>(iii) Application for performance on certain day to be at proper time and place - Section 48</p>                                                                                                                                                                                               | <p>(iii) किसी निश्चित दिन पर निष्पादन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर होना चाहिए - धारा 48</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>When a promise is to be performed on a certain day, and the promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business.</p>                               | <p>जब किसी वचन का पालन किसी निश्चित दिन किया जाना हो, और वचनदाता ने वचनग्राही के अनुरोध के बिना उसका पालन करने का दायित्व न लिया हो, तब वचनग्राही का यह कर्तव्य है कि वह उचित स्थान तथा सामान्य व्यापारिक समय के भीतर पालन के लिए अनुरोध करे।</p>                                  |

~~~~~

Explanation to Section 48 states that the question “what is a proper time and place” is, in each particular case, a question of fact.	धारा 48 की व्याख्या में कहा गया है कि “उचित समय और स्थान क्या है” यह प्रश्न प्रत्येक विशेष मामले में तथ्य का प्रश्न होता है।
(iv) Place for the performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance - Section 49	(iv) वचन के पालन का स्थान, जहाँ आवेदन किया जाना आवश्यक न हो और पालन के लिए कोई स्थान निर्धारित न किया गया हो - धारा 49
When a promise is to be performed without application by the promisee, and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise, and to perform it at such a place.	जब किसी वचन का पालन वचनग्राही द्वारा आवेदन किए बिना किया जाना हो, और उसके पालन के लिए कोई स्थान निर्धारित न किया गया हो, तब वचनदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह वचनग्राही से वचन के पालन हेतु एक उचित स्थान निर्धारित करने के लिए कहे, और उस स्थान पर वचन का पालन करे।
<b>Example 20:</b> A undertakes to deliver a thousand maunds of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it, and must deliver it to him at such place.	<b>उदाहरण 20:</b> A, B को एक निश्चित दिन पर जूट के एक हजार मन पहुँचाने का वचन देता है। A को B से यह निवेदन करना चाहिए कि वह उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से एक उचित स्थान निर्धारित करे, और A को उस स्थान पर जूट पहुँचाना चाहिए।
(v) Performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee - Section 50	(v) वचनग्राही द्वारा निर्धारित या स्वीकृत रीति अथवा समय पर निष्पादन - धारा 50
The performance of any promise may be made in any such manner, or at any time which the promisee prescribes or sanctions.	किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से या उस समय किया जा सकता है, जिसे वचनग्राही निर्धारित या स्वीकृत करता है।
<b>4.7 PERFORMANCE OF RECIPROCAL PROMISE</b>	<b>4.7 पारस्परिक वादों का पालन</b>
The law on the subject is contained in Sections 51 to 58. The provisions thereof are summarised below.	इस विषय से संबंधित विधि धारा 51 से 58 में निहित है। इनके प्रावधानों का सार नीचे दिया गया है।
(i) Promisor not bound to perform, unless reciprocal promisee ready and willing to perform- Section 51	(i) वचनदाता तब तक पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक पारस्परिक वचनग्राही पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक न हो — धारा 51
When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promisor needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise.	जब किसी अनुबंध में पारस्परिक वचन ऐसे हों जिन्हें एक साथ पूरा किया जाना हो, तो कोई भी वचनदाता अपना वचन पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता, जब तक कि वचनग्राही अपने पारस्परिक वचन को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक न हो।
<b>Example 21:</b> A and B contract that	<b>उदाहरण 21:</b> A और B के बीच यह

<p>A shall deliver the goods to B to be paid for by B on delivery. A need not deliver the goods, unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery.</p>	<p>अनुबंध होता है कि A, B को माल देगा और B माल की डिलीवरी के समय उसका भुगतान करेगा। A के लिए माल की डिलीवरी करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि B डिलीवरी के समय माल का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक न हो।</p>
<p>(ii) Order of performance of reciprocal promises- Section 52</p>	<p>(ii) पारस्परिक वादों के पालन का क्रम - धारा 52</p>
<p>When the order of performance of the reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires.</p>	<p>जब पारस्परिक वचनों के पालन का क्रम संविदा द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो, तो उनका पालन उसी क्रम में किया जाएगा, और जहाँ क्रम संविदा द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित न किया गया हो, वहाँ उनका पालन उस क्रम में किया जाएगा जिसकी अपेक्षा लेन-देन की प्रकृति करती है।</p>
<p><b>Example 22:</b> A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. As A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it.</p>	<p><b>उदाहरण 22:</b> A और B के बीच यह अनुबंध होता है कि A, B के लिए एक निश्चित मूल्य पर मकान बनाएगा। चूँकि मकान बनाने का A का वचन, उसके बदले भुगतान करने के B के वचन से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।</p>
<p>(iii) Liability of party preventing event on which the contract is to take effect - Section 53</p>	<p>(iii) उस पक्ष की देयता जो उस घटना को होने से रोकता है जिस पर संविदा का प्रभावी होना निर्भर करता है - धारा 53</p>
<p>When a contract contains reciprocal promises, and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented; and he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of the non-performance of the contract.</p>	<p>जब किसी अनुबंध में पारस्परिक वचन होते हैं, और अनुबंध का एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके वचन के पालन से रोक देता है, तो ऐसा अनुबंध रोके गए पक्ष के विकल्प पर विलोपनीय हो जाता है; और वह अनुबंध के अपालन के परिणामस्वरूप हुई किसी भी हानि के लिए दूसरे पक्ष से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होता है।</p>
<p><b>Example 23:</b> A and B contract that B shall execute some work for A for a thousand rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. The contract is voidable at the option of B; and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance.</p>	<p><b>उदाहरण 23:</b> A और B के बीच यह अनुबंध होता है कि B, A के लिए एक हजार रुपये में कुछ कार्य करेगा। B उस कार्य को करने के लिए तैयार और इच्छुक है, किन्तु A उसे ऐसा करने से रोक देता है। यह अनुबंध B के विकल्प पर विलेखनीय (voidable) है; और यदि वह इसे निरस्त करने का चुनाव करता है, तो वह उसके अपूर्ण निष्पादन के कारण हुई किसी भी हानि के लिए A से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है।</p>

<p><b>Example 24:</b> In a contract for the sale of standing timber, the seller is to cut and cord it, whereupon buyer is to take it away and pay for it. The seller cords only a part of the timber and neglects to cord the rest. In that event the buyer may avoid the contract and claim compensation from the seller for any loss which he may have sustained for the non-performance of the contract.</p>	<p><b>उदाहरण 24:</b> खड़े वृक्षों की बिक्री के एक अनुबंध में, विक्रेता को उन्हें काटकर गट्टरों में बाँधना है, जिसके बाद क्रेता उन्हें ले जाएगा और उनका मूल्य चुकाएगा। विक्रेता केवल कुछ वृक्षों को ही गट्टरों में बाँधता है और शेष को बाँधने में उपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में क्रेता अनुबंध को निरस्त कर सकता है और अनुबंध के अपूर्ण पालन के कारण हुई किसी भी हानि के लिए विक्रेता से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।</p>
<p>(iv) Effect of default as to that promise which should be first performed, in contract consisting of reciprocal promises (Section 54)</p>	<p>(iv) पारस्परिक वचनों से युक्त अनुबंध में उस वचन के पालन में चूक का प्रभाव, जिसका पहले पालन किया जाना चाहिए (धारा 54)</p>
<p>Section 54 applies when the promises are reciprocal and dependent. If the promisor who has to perform his promise before the performance of the other's promise fails to perform it, he cannot claim performance of the other promise, and is also liable for compensation for his non- performance.</p>	<p>धारा 54 तब लागू होती है जब वचन परस्पर और आश्रित हों। यदि वह वचनदाता, जिसे दूसरे के वचन के पालन से पहले अपना वचन पूरा करना था, उसे पूरा करने में असफल रहता है, तो वह दूसरे वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता, और अपने अपालन के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।</p>
<p><b>Example 25:</b> A hires B's ship to take in and convey, from Kolkata to the Mauritius, a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise, and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract.</p>	<p><b>उदाहरण 25:</b> A, B के जहाज़ को कोलकाता से मॉरीशस तक A द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला माल ले जाने और पहुँचाने के लिए किराये पर लेता है, जिसके बदले में B को माल ढुलाई के लिए एक निश्चित भाड़ा प्राप्त होना था। A जहाज़ के लिए कोई माल उपलब्ध नहीं कराता है। A, B के वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता और अनुबंध के अपालन से B को जो हानि होती है, उसके लिए A को B को क्षतिपूर्ति करनी होगी।</p>
<p><b>Example 26:</b> A hires B to make a shoe rack. A will supply the plywood, fevicol and other items required for making the shoe rack. B arrived on the appointed day and time but A could not arrange for the required materials. A cannot claim the performance of B's promise, and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract.</p>	<p><b>उदाहरण 26:</b> A, B को जूता रखने की रैक बनाने के लिए नियुक्त करता है। A, जूता रैक बनाने के लिए आवश्यक प्लाईवुड, फेवीकोल तथा अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराएगा। B, निर्धारित दिन और समय पर आ गया, लेकिन A आवश्यक सामग्री की व्यवस्था नहीं कर सका। A, B के वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता और अनुबंध के पालन न होने से B को जो हानि हुई है, उसके लिए A को B को प्रतिकर देना होगा।</p>

<p><b>(v) Effects of Failure to Perform at a Time Fixed in a Contract in which Time is Essential (Section 55)</b></p>	<p><b>(v) उस संविदा में, जिसमें समय का पालन आवश्यक है, निर्धारित समय पर पालन करने में विफलता के प्रभाव (धारा 55)</b></p>
<p>The law on the subject is contained in Section 55 which is reproduced below:</p>	<p>इस विषय पर कानून धारा 55 में निहित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:</p>
<p>“When a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract, or so much of it as has not been performed, becomes voidable at the option of the promisee, if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract”.</p>	<p>“जब किसी अनुबंध का कोई पक्षकार किसी निश्चित समय पर या उससे पहले कोई कार्य करने का वचन देता है, और वह उस निश्चित समय पर या उससे पहले ऐसा कार्य करने में असफल रहता है, तब अनुबंध, या उसका वह भाग जो निष्पादित नहीं हुआ है, वचनग्राही के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाता है, यदि पक्षकारों का आशय यह था कि समय अनुबंध का मूल तत्व होगा।”</p>
<p><b>Effect of such failure when time is not essential</b></p>	<p><b>जब समय अनिवार्य न हो तब ऐसी विफलता का प्रभाव</b></p>
<p>If it was not the intention of the parties that time should be of essence of the contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time; but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure.</p>	<p>यदि पक्षकारों का यह आशय नहीं था कि समय अनुबंध का मूल तत्व होगा, तो निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले उस कार्य को न करने के कारण अनुबंध विलोपनीय नहीं होता; किन्तु ऐसे असफल होने से जो हानि वचनग्राही को हुई हो, उसके लिए वह वचनदाता से प्रतिकर पाने का अधिकारी होता है।</p>
<p><b>Effect of acceptance of performance at time other than agreed upon -</b></p>	<p>निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी अन्य समय पर निष्पादन स्वीकार करने का प्रभाव -</p>
<p>If, in case of a contract voidable on account of the promisor’s failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless, at the time of acceptance, he gives notice to the promisor of his intention to do so.</p>	<p>यदि, वचनदाता द्वारा सहमत समय पर अपने वचन का पालन न करने के कारण शून्यकरणीय अनुबंध की स्थिति में, वचनग्राही ऐसे वचन के पालन को सहमत समय के अतिरिक्त किसी अन्य समय पर स्वीकार कर लेता है, तो वचनग्राही सहमत समय पर वचन के पालन न होने से हुई किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि स्वीकृति के समय वह वचनदाता को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दे।</p>
<p><b>(vi) Agreement to do Impossible Act (Section 56)</b></p>	<p><b>(vi) असंभव कार्य करने का समझौता (धारा 56)</b></p>
<p>The impossibility of performance may be of the two types, namely (a) initial impossibility, and (b) subsequent impossibility.</p>	<p>निष्पादन की असंभवता दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात् (a) प्रारम्भिक असंभवता, और (b) पश्चातवर्ती</p>

	असंभवता।
(a) Initial impossibility (Impossibility existing at the time of contract): When the parties agree upon doing of something which is obviously impossible in itself the agreement would be void. Impossible in itself means impossible in the nature of things. The fact of impossibility may be and may not be known to the parties.	(क) प्रारम्भिक असम्भवता (संविदा के समय विद्यमान असम्भवता): जब पक्षकार किसी ऐसे कार्य को करने पर सहमत होते हैं जो अपने आप में स्पष्ट रूप से असम्भव हो, तो वह समझौता शून्य होगा। अपने आप में असम्भव का अर्थ है वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार असम्भव। असम्भवता का तथ्य पक्षकारों को ज्ञात भी हो सकता है और ज्ञात नहीं भी हो सकता।
<b>Example 27:</b> 'A' a Hindu, who was already married, contracted to marry 'B', a Hindu girl. According to law, 'A' being married, could not marry 'B'. In this case, 'A' must make compensation to 'B' for the loss caused to her by the non-performance of the contract.	उदाहरण 27: 'A' एक हिन्दू था, जो पहले से ही विवाहित था, उसने 'B' नामक एक हिन्दू लड़की से विवाह करने का अनुबंध किया। कानून के अनुसार, 'A' पहले से विवाहित होने के कारण 'B' से विवाह नहीं कर सकता था। इस स्थिति में, अनुबंध के पालन न होने से 'B' को जो हानि हुई है, उसके लिए 'A' को 'B' को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
(1) If known to the parties: It would be observed that an agreement constituted, quite unknown to the parties, may be impossible of being performed and hence void.	(1) यदि पक्षकारों को ज्ञात हो: यह देखा जाएगा कि ऐसा समझौता, जो पक्षकारों को पूर्णतः अज्ञात होते हुए किया गया हो, संभवतः पालन किए जाने में असंभव हो सकता है और इसलिए शून्य होता है।
<b>Example 28:</b> B promises to pay a sum of ₹ 5,00,000 if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week. In this case, there is no real agreement, since both the parties are quite certain in their mind that the act is impossible of achievement. Therefore, the agreement, being impossible in itself, is void.	<b>उदाहरण 28:</b> बी ₹ 5,00,000 की राशि देने का वचन देता है, यदि वह एक सप्ताह के भीतर मुंबई से एडन तक भारतीय महासागर को तैरकर पार कर लेता है। इस मामले में कोई वास्तविक समझौता नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने मन में पूरी तरह निश्चित हैं कि यह कार्य पूरा किया जाना असंभव है। इसलिए, यह समझौता अपने आप में असंभव होने के कारण शून्य है।
(2) If unknown to the parties: Where both the promisor and the promisee are ignorant of the impossibility of performance, the contract is void.	(2) यदि पक्षकारों को अज्ञात हो: जहाँ वचनदाता और वचनग्रहिता दोनों ही पालन की असंभवता से अनभिज्ञ हों, वहाँ अनुबंध शून्य होता है।
<b>Example 29:</b> A contracted B to sell his brown horse for ₹ 2,50,000 both unaware that the horse was dead a day before the agreement.	उदाहरण 29: ए ने बी के साथ अपने भूरे घोड़े को ₹ 2,50,000 में बेचने का अनुबंध किया, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि समझौते से एक दिन पहले ही घोड़ा मर चुका था।
(3) If known to the promisor only: Where at the time of entering into a	(3) यदि संविदा करते समय निष्पादन

<p>contract, the promisor alone knows about the impossibility of performance, or even if he does not know though he should have known it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim compensation for any loss he suffered on account of non-performance.</p>	<p>की असंभवता के बारे में केवल वचनदाता को ही जानकारी हो, या वह स्वयं न जानता हो किन्तु उचित सावधानी बरतने पर उसे इसकी जानकारी हो जानी चाहिए थी, तो वचनग्राही को अनिष्पादन के कारण हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा।</p>
<p>(b) Subsequent or supervening impossibility (Becomes impossible after entering into contract): When performance of promise becomes impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or a change of circumstances beyond the control of parties, the contract becomes void e.g. change in law etc. In other words sometimes, the performance of a contract is quite possible when it is made. But subsequently, some event happens which renders the performance impossible or unlawful. Such impossibility is called the subsequent or supervening. It is also called the post-contractual impossibility. The effect of such impossibility is that it makes the contract void and the parties are discharged from further performance of the contract.</p>	<p>(ख) परवर्ती या अध्यारोपित असंभवता (संविदा में प्रवेश करने के बाद असंभव हो जाना): जब किसी अप्रत्याशित घटना या पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वचन का पालन असंभव या अवैध हो जाता है, तो संविदा शून्य हो जाती है, जैसे—कानून में परिवर्तन आदि। दूसरे शब्दों में, कभी-कभी संविदा का पालन उसके बनाए जाने के समय पूर्णतः संभव होता है, लेकिन बाद में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसके पालन को असंभव या अवैध बना देती है। ऐसी असंभवता को परवर्ती या अध्यारोपित असंभवता कहा जाता है। इसे संविदोत्तर असंभवता भी कहा जाता है। ऐसी असंभवता का प्रभाव यह होता है कि संविदा शून्य हो जाती है और पक्षकार संविदा के आगे के पालन से मुक्त हो जाते हैं।</p>
<p><b>Example 30:</b> 'A' and 'B' contracted to marry each other. Before the time fixed for the marriage, 'A' became mad. In this case, the contract becomes void due to subsequent impossibility, and thus discharged.</p>	<p><b>उदाहरण 30:</b> 'A' और 'B' ने एक-दूसरे से विवाह करने का अनुबंध किया। विवाह के लिए निर्धारित समय से पहले 'A' पागल हो गया। इस स्थिति में, बाद की असंभवता के कारण अनुबंध शून्य हो जाता है और इस प्रकार समाप्त माना जाता है।</p>
<p>(vii) Reciprocal promise to do certain things that are legal, and also some other things that are illegal-Section 57</p>	<p>(vii) कुछ कार्य जो वैध हैं तथा कुछ अन्य कार्य जो अवैध हैं, उन्हें करने के पारस्परिक वचन — धारा 57</p>
<p>Where persons reciprocally promise, first to do certain things which are legal and second, under specified circumstances, to do certain other things which are illegal, the first set of promises is a valid contract, but the second is a void agreement.</p>	<p>जहाँ व्यक्ति परस्पर यह वचन देते हैं कि पहले कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो वैध हैं, और निर्दिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य ऐसे कार्य करेंगे जो अवैध हैं, वहाँ वचनों का पहला समूह वैध संविदा होता है, परंतु दूसरा शून्य समझौता होता है।</p>
<p><b>Example 31:</b> A and B agree that A will sell a house to B for ₹ 50,00,000 and also that if B uses it as a gambling house, he will pay a</p>	<p><b>उदाहरण 31:</b> A और B इस बात पर सहमत होते हैं कि A, B को ₹ 50,00,000 में एक मकान बेचेगा और</p>

<p>further sum of ₹ 75,00,000. The first set of reciprocal promises, i.e. to sell the house and to pay ₹ 50,00,000 for it, constitutes a valid contract. But the object of the second, being unlawful, is void.</p>	<p>यह भी कि यदि B उसका उपयोग जुए के घर के रूप में करेगा, तो वह ₹ 75,00,000 की अतिरिक्त राशि देगा। पारस्परिक वचनों का पहला समूह, अर्थात् मकान बेचना और उसके लिए ₹ 50,00,000 का भुगतान करना, एक वैध अनुबंध बनाता है। परंतु दूसरे का उद्देश्य अवैध होने के कारण शून्य है।</p>
<p>(viii) 'Alternative promise' or branch being illegal- Section 58</p>	<p>(viii) 'वैकल्पिक वचन' या उसकी किसी शाखा का अवैध होना - धारा 58</p>
<p>The law on this point is contained in Section 58 which says that "In the case of the alternative promise, one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced".</p>	<p>इस विषय पर विधि धारा 58 में निहित है, जो कहती है कि "वैकल्पिक वचन के मामले में, जिसकी एक शाखा वैध और दूसरी अवैध हो, केवल वैध शाखा ही प्रवर्तनीय होगी।"</p>
<p><b>Example 32:</b> A and B agree that A shall pay B ₹ 1,00,000, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium.</p>	<p><b>उदाहरण 32:</b> A और B इस बात पर सहमत होते हैं कि A, B को ₹1,00,000 देगा, जिसके बदले में B बाद में A को या तो चावल देगा या तस्करी की गई अफीम देगा।</p>
<p>This is a valid contract to deliver rice, and a void agreement as to the opium.</p>	<p>यह चावल की डिलीवरी के लिए एक वैध अनुबंध है, और अफीम के संबंध में एक शून्य समझौता है।</p>
<p><b>4.8 APPROPRIATION OF PAYMENTS</b></p>	<p><b>4.8 भुगतानों का विनियोजन</b></p>
<p>Sometimes, a debtor owes several debts to the same creditor and makes payment, which is not sufficient to discharge all the debts. In such cases, the payment is appropriated (i.e. adjusted against the debts) as per Section 59 to 61 of the Indian Contract Act.</p>	<p>कभी-कभी कोई देनदार एक ही लेनदार का कई ऋणों के लिए देनदार होता है और ऐसा भुगतान करता है, जो सभी ऋणों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे मामलों में, भुगतान का विनियोजन (अर्थात् ऋणों के विरुद्ध समायोजन) भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 से 61 के अनुसार किया जाता है।</p>
<p>(i) Application of payment where debt to be discharged is indicated (Section 59): Where a debtor, owing several distinct debts to one person, makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly.</p>	<p>(i) जहाँ चुकाए जाने वाले ऋण का संकेत दिया गया हो वहाँ भुगतान का विनियोग (धारा 59): जब कोई देनदार, जो एक व्यक्ति का कई पृथक ऋणों के लिए देनदार हो, उसे कोई भुगतान इस स्पष्ट सूचना के साथ या ऐसी परिस्थितियों में करता है जिससे यह अभिप्राय निकलता हो कि भुगतान किसी विशेष ऋण के निर्वहन में लगाया जाना है, तो यदि वह भुगतान स्वीकार कर लिया जाए, तो उसका विनियोग उसी प्रकार किया जाएगा।</p>
<p>(ii) Application of payment where</p>	<p>(ii) जहाँ चुकाए जाने वाले ऋण का</p>

<p>debt to be discharged is not indicated (Section 60): Where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. However, he cannot apply the payment to the disputed debt.</p>	<p>संकेत नहीं किया गया है, वहाँ भुगतान का विनियोग (धारा 60): जहाँ देनदार ने कोई सूचना नहीं दी है और ऐसी कोई अन्य परिस्थितियाँ भी नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिले कि भुगतान किस ऋण में लगाया जाना है, वहाँ लेनदार अपने विवेकानुसार उस भुगतान को देनदार द्वारा उस पर वास्तव में देय और भुगतान योग्य किसी भी वैध ऋण में समायोजित कर सकता है, चाहे उसकी वसूली वर्तमान में लागू परिसीमा संबंधी कानून द्वारा वर्जित हो या न हो। तथापि, वह भुगतान को विवादित ऋण में समायोजित नहीं कर सकता।</p>
<p>(iii) Application of payment where neither party appropriates (Section 61): Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payments shall be applied in discharge of each proportionately.</p>	<p>(iii) जहाँ किसी भी पक्ष द्वारा भुगतान का विनियोजन नहीं किया जाता (धारा 61): जहाँ किसी भी पक्ष द्वारा कोई विनियोजन नहीं किया जाता है, वहाँ भुगतान को समय के क्रम में ऋणों के निर्वहन में लागू किया जाएगा, चाहे वे वर्तमान में लागू सीमावधि संबंधी कानून के अनुसार वाद दायर करने से बाधित हों या नहीं। यदि ऋण समान स्तर के हों, तो भुगतान प्रत्येक ऋण के निर्वहन में अनुपातिक रूप से लागू किया जाएगा।</p>
<p><b>4.9 CONTRACTS, WHICH NEED NOT BE PERFORMED - WITH CONSENT OF BOTH THE PARTIES</b></p>	<p><b>4.9 ऐसे अनुबंध, जिनका पालन दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यक नहीं होता।</b></p>
<p>Under this heading, we shall discuss the principles of Novation, Rescission and Alteration. The law is contained in Sections 62 to 67 of the Contract Act.</p>	<p>इस शीर्षक के अंतर्गत, हम नवेशन, निरसन तथा परिवर्तन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसका विधि संबंधी प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 62 से 67 में निहित है।</p>
<p>(i) Effect of novation, rescission, and alteration of contract (Section 62)</p>	<p>(i) अनुबंध के नवीकरण, निरस्तीकरण तथा परिवर्तन का प्रभाव (धारा 62)</p>
<p>“If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, or to rescind or alter it, the original contract need not be performed”.</p>	<p>“यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके स्थान पर नई संविदा करने, या उसे निरस्त करने अथवा उसमें परिवर्तन करने पर सहमत हो जाते हैं, तो मूल संविदा का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता।”</p>
<p><b>Analysis of Section 62</b></p>	<p><b>धारा 62 का विश्लेषण</b></p>
<p>(a) Effect of novation: The parties to a contract may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be a case of novation. On</p>	<p>(a) नवीकरण का प्रभाव: अनुबंध के पक्षकार पुराने अनुबंध के स्थान पर नया अनुबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह नवीकरण का</p>

<p>novation, the old contract is discharged and consequently it need not be performed. Thus, it is a case where there being a contract in existence some new contract is substituted for it either between the same parties or between different parties the consideration mutually being the discharge of old contract. Novation can take place only by mutual agreement between the parties.</p>	<p>मामला होगा। नवीनकरण होने पर पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप उसका पालन करना आवश्यक नहीं रहता। अतः यह वह स्थिति है जहाँ किसी विद्यमान अनुबंध के स्थान पर या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच अथवा विभिन्न पक्षकारों के बीच नया अनुबंध स्थापित किया जाता है, तथा इसका पारस्परिक प्रतिफल पुराने अनुबंध का समाप्त होना होता है। नवीनकरण केवल पक्षकारों के पारस्परिक समझौते से ही हो सकता है।</p>
<p><b>Example 33:</b> A owes B ₹ 100,000. A, B and C agree that C will pay B and he will accept ₹ 100,000 from C in lieu of the sum due from A. A's liability thereby shall come to an end, and the old contract between A and B will be substituted by the new contract between B and C.</p>	<p><b>उदाहरण 33:</b> A पर B का ₹ 100,000 बकाया है। A, B और C इस बात पर सहमत होते हैं कि C, B को भुगतान करेगा और B, A से देय राशि के स्थान पर C से ₹ 100,000 स्वीकार करेगा। इससे A का दायित्व समाप्त हो जाएगा और A तथा B के बीच का पुराना अनुबंध, B और C के बीच नए अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा।</p>
<p>(b) Effect of rescission: A contract is also discharged by rescission. When the parties to a contract agree to rescind it, the contract need not be performed. In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes to exist in its place. It is needless to point out that novation also involves rescission. Both in novation and rescission, the contract is discharged by mutual agreement.</p>	<p>(b) विलोपन का प्रभाव: किसी अनुबंध का अंत विलोपन द्वारा भी हो जाता है। जब किसी अनुबंध के पक्षकार उसे निरस्त करने पर सहमत हो जाते हैं, तब उस अनुबंध का पालन करना आवश्यक नहीं रहता। विलोपन की स्थिति में केवल पुराना अनुबंध समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर कोई नया अनुबंध अस्तित्व में नहीं आता। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नवपरिवर्तन में भी विलोपन सम्मिलित होता है। नवपरिवर्तन तथा विलोपन दोनों में ही अनुबंध पारस्परिक सहमति द्वारा समाप्त हो जाता है।</p>
<p>(c) Effect of alteration of contract: As in the case of novation and rescission, so also in a case where the parties to a contract agree to alter it, the original contract is rescinded, with the result that it need not be performed. In other words, a contract is also discharged by alteration. The terms of contract may also be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one. In other words, the distinction between</p>	<p>(c) संविदा में परिवर्तन का प्रभाव: जैसे नवेशन और निरसन के मामले में होता है, उसी प्रकार जब संविदा के पक्षकार उसमें परिवर्तन करने पर सहमत हो जाते हैं, तो मूल संविदा समाप्त मानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसका पालन करना आवश्यक नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, परिवर्तन द्वारा भी संविदा समाप्त हो जाती है। संविदा की शर्तों में पारस्परिक सहमति से ऐसा परिवर्तन भी किया जा सकता है कि उसका प्रभाव पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा</p>

<p>novation and alteration is very slender.</p>	<p>स्थापित करने जैसा हो। दूसरे शब्दों में, नवेशन और परिवर्तन के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है।</p>
<p>Novation and alteration: The law pertaining to novation and alteration is contained in Sections 62 to 67 of the Indian Contract Act. In both these cases the original contract need not be performed. Still there is a difference between these two.</p>	<p>नवेशन और परिवर्तन: नवेशन तथा परिवर्तन से संबंधित कानून की धारा 62 से 67 में निहित है। इन दोनों ही स्थितियों में मूल अनुबंध का पालन करना आवश्यक नहीं होता। फिर भी, इन दोनों के बीच एक अंतर है।</p>
<p>1. Novation means substitution of an existing contract with a new one. Novation may be made by changing the terms of the contract or there may be a change in the contracting parties. But in case of alteration the terms of the contract may be altered by mutual agreement by the contracting parties but the parties to the contract will remain the same.</p>	<p>1. नवेशन का अर्थ है किसी विद्यमान अनुबंध के स्थान पर एक नया अनुबंध स्थापित करना। नवेशन अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करके किया जा सकता है या अनुबंध करने वाले पक्षों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन परिवर्तन के मामले में, अनुबंध की शर्तों में अनुबंध करने वाले पक्षों की पारस्परिक सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु अनुबंध के पक्षकार वही बने रहते हैं।</p>
<p>2. In case of novation there is altogether a substitution of new contract in place of the old contract. But in case of alteration it is not essential to substitute a new contract in place of the old contract. If alteration, there may be a change in some of the terms and conditions of the original agreement.</p>	<p>2. नवीकरण के मामले में पुराने अनुबंध के स्थान पर पूर्णतः एक नए अनुबंध का प्रतिस्थापन हो जाता है। लेकिन परिवर्तन के मामले में पुराने अनुबंध के स्थान पर नए अनुबंध का प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं होता। यदि परिवर्तन किया जाता है, तो मूल अनुबंध की कुछ शर्तों एवं नियमों में बदलाव हो सकता है।</p>
<p>(ii) Promise may waive or remit performance of promise (Section 63): “Every promisee may dispense with or remit, wholly or in part, the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit”. In other words, a contract may be discharged by remission.</p>	<p>(ii) वचनग्राही वचन के पालन को माफ या कम कर सकता है (धारा 63): “प्रत्येक वचनग्राही अपने प्रति किए गए वचन के पालन को पूर्णतः या आंशिक रूप से छोड़ सकता है या कम कर सकता है, अथवा ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकता है, या उसके स्थान पर ऐसा कोई संतोष स्वीकार कर सकता है जिसे वह उचित समझे।” दूसरे शब्दों में, अनुबंध का समाप्त होना परिहार द्वारा भी हो सकता है।</p>
<p><b>Example 34:</b> A owes B ₹ 50,000. A pays to B, and B accepts, in satisfaction of the whole debt, ₹ 2,00,000 paid at the time and place at which the ₹ 5,00,000 were payable. The whole debt is discharged.</p>	<p><b>उदाहरण 34:</b> A, B का ₹ 50,000 का देनदार है। A, B को ₹ 2,00,000 देता है और B उसे सम्पूर्ण ऋण की संतुष्टि के रूप में स्वीकार कर लेता है, जो उस समय और स्थान पर दिया गया जहाँ ₹ 5,00,000 देय थे। पूरा ऋण समाप्त हो जाता है।</p>
<p><b>(iii) Restoration of benefit under</b></p>	<p><b>(iii) शून्यकरणीय अनुबंध के</b></p>

<b>a Voidable Contract (Section 64)</b>	<b>अंतर्गत लाभ की पुनर्स्थापना (धारा 64)</b>
The law on the subject is “When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. The party rescinding avoidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit, so far as may be, to the person from whom it was received”.	इस विषय पर कानून यह है— “जब कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई अनुबंध शून्यकरणीय है, उसे निरस्त करता है, तब दूसरा पक्ष उसमें निहित किसी भी ऐसे वचन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, जिसमें वह वचनदाता है। जो पक्ष शून्यकरणीय अनुबंध को निरस्त करता है, यदि उसने उस अनुबंध के अंतर्गत दूसरे पक्ष से कोई लाभ प्राप्त किया है, तो वह यथासंभव उस लाभ को उस व्यक्ति को वापस करेगा, जिससे वह प्राप्त किया गया था।”
<b>Analysis of Section 64</b>	<b>धारा 64 का विश्लेषण</b>
Such a contract can be terminated at the option of the party who is empowered to do so. If he has received any benefit under the contract, he must restore such benefit to the person from whom he has received it.	ऐसा अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर समाप्त किया जा सकता है जिसे ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि उसने अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, तो उसे वह लाभ उस व्यक्ति को वापस करना होगा जिससे उसने उसे प्राप्त किया है।
<b>Example 35:</b> An insurance company may rescind a policy on the ground that material fact has not been disclosed. When it does so, the premium collected by it in respect of the policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder.	<b>उदाहरण 35:</b> कोई बीमा कंपनी इस आधार पर पॉलिसी को निरस्त कर सकती है कि महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। जब वह ऐसा करती है, तब उस पॉलिसी के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त प्रीमियम में से इस संबंध में किए गए खर्चों की राशि घटाकर शेष राशि पॉलिसीधारक को वापस करनी होगी।
(iv) Obligations of Person who has Received Advantage under Void Agreement or contract that becomes void (Section 65)	(iv) शून्य समझौते या शून्य हो जाने वाले अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दायित्व (धारा 65)
“When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it to the person from whom he received it.”	“जब कोई समझौता शून्य पाया जाता है या जब कोई अनुबंध शून्य हो जाता है, तब जिस व्यक्ति ने ऐसे समझौते या अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, वह उसे वापस करने या उस व्यक्ति को उसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य होता है, जिससे उसने वह लाभ प्राप्त किया था।”
<b>Analysis of Section 65</b>	<b>धारा 65 का विश्लेषण</b>
From the language of the Section, it is clear that in such a case either the advantage received must be restored	धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में या तो प्राप्त लाभ वापस

<p>back or a compensation, sufficient to put the position prior to contract, should be paid.</p>	<p>लौटाया जाना चाहिए अथवा ऐसी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए जो अनुबंध से पूर्व की स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो।</p>
<p><b>Example 36:</b> A pays B ₹ 1,00,000, in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay A ₹ 1,00,000.</p>	<p><b>उदाहरण 36:</b> A, B को ₹ 1,00,000 इस प्रतिफल में देता है कि B, A की पुत्री C से विवाह करने का वचन देता है। वचन के समय C की मृत्यु हो चुकी थी। यह समझौता शून्य है, परन्तु B को A के ₹ 1,00,000 वापस करने होंगे।</p>
<p>In a case, the plaintiff hired a godown from the defendant for twelve months and paid the whole of the rent in advance. After about seven months the godown was destroyed by fire, without any fault or negligence on the part of the plaintiff and the plaintiff claimed a refund of a proportionate amount of the rent. Held, the plaintiff was entitled to recover the unexpired term of the contract.</p>	<p>एक मामले में, वादी ने प्रतिवादी से बारह महीनों के लिए एक गोदाम किराये पर लिया और पूरे किराये का अग्रिम भुगतान कर दिया। लगभग सात महीनों के बाद, वादी की किसी गलती या लापरवाही के बिना, गोदाम आग से नष्ट हो गया और वादी ने किराये की अनुपातिक राशि की वापसी का दावा किया। निर्णय दिया गया कि वादी अनुबंध की शेष अवधि के लिए राशि की वसूली करने का अधिकारी था।</p>
<p>The Act requires that a party must give back whatever he has received under the benefit of the contract to be restored under this section must be benefit received under the contract (and not any other amount). A agrees to sell land to B for ₹ 400,000. B pays to A ₹ 40,000 as a deposit at the time of the contract, the amount to be forfeited by A if B does not complete the sale within a specified period. B fails to complete the sale within the specified period, nor is he ready and willing to complete the sale within a reasonable time after the expiry of that period. A is entitled to rescind the contract and to retain the deposit. The deposit is not a benefit received under the contract, it is a security that the purchaser would fulfil his contract and is ancillary to the contract for the sale of the land.</p>	<p>अधिनियम यह अपेक्षा करता है कि किसी पक्ष को संविदा के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त हुआ हो, उसे वापस करना होगा। इस धारा के अंतर्गत पुनर्स्थापित किया जाने वाला लाभ वही होना चाहिए जो संविदा के अंतर्गत प्राप्त हुआ हो (न कि कोई अन्य राशि)। A, B को ₹4,00,000 में भूमि बेचने के लिए सहमत होता है। संविदा के समय B, A को ₹40,000 अग्रिम राशि के रूप में देता है, जिसे इस शर्त पर जब्त किया जाना है कि यदि B निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय पूरा नहीं करता है तो A उस राशि को रख सकता है। B निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय पूरा करने में असफल रहता है, और न ही उस अवधि की समाप्ति के बाद उचित समय के भीतर विक्रय पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक होता है। A संविदा को निरस्त करने तथा अग्रिम राशि को अपने पास रखने का अधिकारी है। यह अग्रिम राशि संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं है, बल्कि यह इस बात की सुरक्षा है कि क्रेता अपनी संविदा का पालन करेगा, और यह भूमि विक्रय की संविदा के सहायक रूप में है।</p>

<p>(v) Communication of rescission (Section 66): You have noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded; but rescission must be communicated to the other party in the same manner as a proposal is communicated under Section 4 of the Contract Act. Similarly, a rescission may be revoked in the same manner as a proposal is revoked.</p>	<p>(v) रद्दकरण की सूचना (धारा 66): आपने देखा है कि किसी एक पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय संविदा को रद्द किया जा सकता है; किन्तु रद्दकरण की सूचना दूसरे पक्ष को उसी प्रकार दी जानी चाहिए जिस प्रकार संविदा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना दी जाती है। इसी प्रकार, रद्दकरण को भी उसी प्रकार वापस लिया जा सकता है जिस प्रकार किसी प्रस्ताव को वापस लिया जाता है।</p>
<p>(vi) Effects of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance (Section 67): If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby.</p>	<p>(vi) वचनग्राही द्वारा वचनदाता को पालन हेतु उचित सुविधाएँ प्रदान करने में उपेक्षा का प्रभाव (धारा 67): यदि कोई वचनग्राही, वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो ऐसी उपेक्षा या इनकार के कारण होने वाले किसी भी अपालन के लिए वचनदाता उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है।</p>
<p><b>Example 37:</b> If an apprentice refuses to learn, the teacher cannot be held liable for not teaching.</p>	<p><b>उदाहरण 37:</b> यदि कोई प्रशिक्षु सीखने से इंकार कर देता है, तो शिक्षक को न सिखाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।</p>
<p><b>Example 38:</b> A contracts with B to repair B's house. B neglects or refuses to appoint out to A the places in which his house requires repair. A is excused for the non-performance of the contract, if it is caused by such neglect or refusal.</p>	<p><b>उदाहरण 38:</b> A, B के घर की मरम्मत करने के लिए B के साथ अनुबंध करता है। B, A को उन स्थानों को बताने में उपेक्षा करता है या मना कर देता है जहाँ उसके घर में मरम्मत की आवश्यकता है। यदि अनुबंध का पालन न होना ऐसी उपेक्षा या मना करने के कारण हुआ है, तो A को अनुबंध के अपालन के लिए क्षमा कर दिया जाएगा।</p>
<p><b>4.10 DISCHARGE OF A CONTRACT</b></p>	<p><b>4.10 अनुबंध का निर्वहन</b></p>
<p>A contract is discharged when the obligations created by it come to an end. A contract may be discharged in any one of the following ways:</p>	<p>जब किसी अनुबंध द्वारा उत्पन्न दायित्व समाप्त हो जाते हैं, तब अनुबंध समाप्त माना जाता है। अनुबंध निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से समाप्त हो सकता है:</p>
<p>(i) Discharge by performance: It takes place when the parties to the contract fulfil their obligations arising under the contract within the time and in the manner prescribed. Discharge by performance may be</p>	<p>(i) निष्पादन द्वारा निर्वहन: यह तब होता है जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न अपने दायित्वों को निर्धारित समय तथा निर्धारित तरीके से पूरा कर देते हैं। निष्पादन द्वारा निर्वहन हो सकता है।</p>

(1) Actual performance; or	(1) वास्तविक निष्पादन; या
(2) Attempted performance.	(2) प्रयासित निष्पादन।
Actual performance is said to have taken place, when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement. When the promisor offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance or tender.	जब प्रत्येक पक्ष वह कार्य कर देता है, जिसे उसने समझौते के अंतर्गत करने के लिए सहमति दी थी, तब उसे वास्तविक निष्पादन कहा जाता है। जब वचनदाता अपने दायित्व के निष्पादन का प्रस्ताव करता है, लेकिन वचनग्राही उस निष्पादन को स्वीकार करने से इंकार कर देता है, तब उसे प्रयत्नित निष्पादन या निविदा कहा जाता है।
<b>Example 39:</b> A contracts to sell his car to B on the agreed price. As soon as the car is delivered to B and B pays the agreed price for it, the contract comes to an end by performance.	<b>उदाहरण 39:</b> A ने अपनी कार B को तय मूल्य पर बेचने का अनुबंध किया। जैसे ही कार B को सौंप दी जाती है और B उसके लिए तय मूल्य का भुगतान कर देता है, निष्पादन द्वारा अनुबंध समाप्त हो जाता है।
<b>Example 40:</b> A contracted to supply certain quantity of timber to B. B made the supply of timber at appointed time and place but A refused to accept the delivery. This is called as attempted performance.	<b>उदाहरण 40:</b> ए ने बी को लकड़ी की एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति करने का अनुबंध किया। बी ने निर्धारित समय और स्थान पर लकड़ी की आपूर्ति की, लेकिन ए ने डिलीवरी स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इसे प्रयासित निष्पादन कहा जाता है।
(ii) Discharge by mutual agreement: Section 62 of the Indian Contract Act provides if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, or to rescind or remit or alter it, the original contract need not be performed. The principles of Novation, Rescission, Alteration and Remission are already discussed.	(ii) पारस्परिक सहमति द्वारा समाप्ति: Indian Contract Act की धारा 62 के अनुसार, यदि किसी अनुबंध के पक्षकार उसके स्थान पर नया अनुबंध करने, या उसे निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन करने, या उसे माफ करने पर सहमत हो जाते हैं, तो मूल अनुबंध का पालन करना आवश्यक नहीं रहता। नवेशन, रद्दीकरण, परिवर्तन तथा रेमिशन के सिद्धांतों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।
<b>Example 41:</b> A owes B ₹ 1,00,000. A enters into an agreement with B and mortgage his (A's), estates for ₹ 50,000 in place of the debt of ₹ 1,00,000. This is a new contract and extinguishes the old.	<b>उदाहरण 41:</b> A, B का ₹1,00,000 का देनदार है। A, B के साथ एक समझौता करता है और ₹1,00,000 के ऋण के स्थान पर ₹50,000 के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रख देता है। यह एक नया अनुबंध है और पुराने अनुबंध को समाप्त कर देता है।
<b>Example 42:</b> A owes B ₹ 5,00,000. A pays to B ₹ 3,00,000 who accepts it in full satisfaction of the debt. The whole debt is discharged.	<b>उदाहरण 42:</b> A, B का ₹ 5,00,000 का देनदार है। A, B को ₹ 3,00,000 देता है, जिसे B ऋण की पूर्ण संतुष्टि के रूप में स्वीकार कर लेता है। पूरा ऋण समाप्त हो जाता है।

<p>(iii) Discharge by impossibility of performance: The impossibility may exist from the very start. In that case, it would be impossibility ab initio. Alternatively, it may supervene. Supervening impossibility may take place owing to:</p>	<p>(iii) निष्पादन की असंभवता द्वारा अनुबंध की समाप्ति: असंभवता प्रारम्भ से ही विद्यमान हो सकती है। उस स्थिति में इसे प्रारम्भ से असंभवता कहा जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यह बाद में उत्पन्न भी हो सकती है। बाद में उत्पन्न असंभवता निम्न कारणों से हो सकती है:</p>
<p>(a) an unforeseen change in law;</p>	<p>(a) कानून में अप्रत्याशित परिवर्तन;</p>
<p>(b) the destruction of non-subject-matter essential to that performance;</p>	<p>(b) उस प्रदर्शन के लिए आवश्यक गैर-विषय-वस्तु का विनाश;</p>
<p>(c) the non-existence or non-occurrence of particular state of things, which was naturally contemplated for performing the contract, as a result of some personal incapacity like dangerous malady;</p>	<p>(c) किसी विशेष स्थिति या अवस्था का अस्तित्व न होना या उसका घटित न होना, जिसकी स्वाभाविक रूप से अनुबंध के पालन हेतु कल्पना की गई थी, और जो किसी व्यक्तिगत अक्षमता जैसे गंभीर बीमारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो;</p>
<p>(d) the declaration of a war (Section 56).</p>	<p>(d) युद्ध की घोषणा (धारा 56)</p>
<p><b>Example 43:</b> A agrees with B to discover a treasure by magic. The agreement is void due to initial impossibility.</p>	<p><b>उदाहरण 43:</b> A, B के साथ जादू द्वारा खजाना खोजने के लिए सहमत होता है। प्रारम्भिक असंभवता के कारण यह समझौता शून्य है।</p>
<p><b>Example 44:</b> A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. The contract becomes void.</p>	<p><b>उदाहरण 44:</b> A और B एक-दूसरे से विवाह करने का अनुबंध करते हैं। विवाह के लिए निर्धारित समय से पहले A पागल हो जाता है। अनुबंध शून्य हो जाता है।</p>
<p><b>Example 45:</b> A contracts to act at a theatre for six months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void.</p>	<p><b>उदाहरण 45:</b> A, B द्वारा अग्रिम रूप से दी गई राशि के प्रतिफल में छह महीने तक एक रंगमंच में अभिनय करने का अनुबंध करता है। कई अवसरों पर A अभिनय करने के लिए अत्यधिक बीमार हो जाता है। उन अवसरों पर अभिनय करने का अनुबंध शून्य हो जाता है।</p>
<p><b>Example 46:</b> X agrees to sell his horse to Y for ₹ 5,000 but the horse died in an accident. Here, it become impossible to perform the contract due to destruction of the subject. Thus, a valid contract changes into void contract because of impossibility of performance.</p>	<p><b>उदाहरण 46:</b> X अपने घोड़े को Y को ₹ 5,000 में बेचने के लिए सहमत होता है, लेकिन दुर्घटना में घोड़े की मृत्यु हो जाती है। यहाँ, विषय-वस्तु के नष्ट हो जाने के कारण अनुबंध का पालन करना असंभव हो जाता है। अतः, पालन की असंभवता के कारण एक वैध अनुबंध शून्य अनुबंध में परिवर्तित हो जाता है।</p>
<p>(iv) Discharge by lapse of time: A contract should be performed within a specified period as prescribed by the Limitation Act, 1963. If it is not performed and if no action is taken</p>	<p>(iv) समय-सीमा समाप्त होने द्वारा समाप्ति: किसी अनुबंध का पालन परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना</p>

<p>by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy at law.</p>	<p>चाहिए। यदि उसका पालन नहीं किया जाता है और वचनग्राही द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह विधि द्वारा उपलब्ध उपचार से वंचित हो जाता है।</p>
<p><b>Example 47:</b> If a creditor does not file a suit against the buyer for recovery of the price within three years, the debt becomes time-barred and hence irrecoverable.</p>	<p><b>उदाहरण 47:</b> यदि कोई लेनदार मूल्य की वसूली के लिए खरीदार के विरुद्ध तीन वर्षों के भीतर मुकदमा दायर नहीं करता है, तो ऋण समय-सीमा से बाधित हो जाता है और इसलिए उसकी वसूली नहीं की जा सकती।</p>
<p>(v) Discharge by operation of law: A contract may be discharged by operation of law which includes by death of the promisor, by insolvency etc.</p>	<p>(v) विधि के प्रवर्तन द्वारा समाप्ति: किसी संविदा का समाप्त होना विधि के प्रवर्तन द्वारा भी हो सकता है, जिसमें वचनदाता की मृत्यु, दिवालियापन आदि सम्मिलित हैं।</p>
<p>(vi) Discharge by breach of contract: Breach of contract may be actual breach of contract or anticipatory breach of contract. If one party defaults in performing his part of the contract on the due date, he is said to have committed breach thereof. When on the other hand, a person repudiates a contract before the stipulated time for its performance has arrived, he is deemed to have committed anticipatory breach. If one of the parties to a contract breaks the promise the party injured thereby, has not only a right of action for damages but he is also discharged from performing his part of the contract.</p>	<p>(vi) संविदा के उल्लंघन द्वारा निर्वहन: संविदा का उल्लंघन वास्तविक उल्लंघन या प्रत्याशित उल्लंघन हो सकता है। यदि कोई पक्ष नियत तिथि पर संविदा के अपने भाग का पालन करने में चूक करता है, तो कहा जाता है कि उसने उसका उल्लंघन किया है। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति संविदा के पालन के लिए निर्धारित समय आने से पहले ही संविदा का परित्याग कर देता है, तो माना जाता है कि उसने प्रत्याशित उल्लंघन किया है। यदि संविदा का कोई एक पक्ष अपने वचन को तोड़ देता है, तो उससे पीड़ित पक्ष को न केवल हानि-पूर्ति के लिए वाद दायर करने का अधिकार होता है, बल्कि वह संविदा के अपने भाग के पालन से भी मुक्त हो जाता है।</p>
<p><b>Example 48:</b> A contracted with B to supply 100 kgs of rice on 1st June. But A failed to deliver the same on said date. This is actual breach of contract. If time is not essential essence of contract B can give him another date for supply of goods and he will not be liable to claim for any damages if prior notice for the same is not given to A while giving another date.</p>	<p><b>उदाहरण 48:</b> A ने B के साथ 1 जून को 100 किलोग्राम चावल की आपूर्ति करने का अनुबंध किया। लेकिन A उक्त तिथि पर चावल की आपूर्ति करने में असफल रहा। यह अनुबंध का वास्तविक उल्लंघन है। यदि समय अनुबंध का आवश्यक तत्व नहीं है, तो B उसे वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दूसरी तिथि दे सकता है और यदि दूसरी तिथि देते समय A को इसके लिए पूर्व सूचना नहीं दी गई है, तो B किसी भी हानि-पूर्ति का दावा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।</p>

~~~~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(vii) Promise may waive or remit performance of promise: Every promisee may dispense with or remit, wholly or in part, the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, a contract may be discharged by remission. (Section 63)</p> | <p>(vii) वचनग्राही, वचन के पालन को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ़ या त्याग सकता है: प्रत्येक वचनग्राही अपने पक्ष में किए गए वचन के पालन को पूर्णतः या आंशिक रूप से छोड़ सकता है या माफ़ कर सकता है, अथवा ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकता है, या उसके स्थान पर ऐसा कोई संतोष स्वीकार कर सकता है जिसे वह उचित समझे। दूसरे शब्दों में, अनुबंध का निर्वहन परिहार द्वारा भी किया जा सकता है। (धारा 63)</p> |
| <p><b>Example 49:</b> A owes B ₹ 5,00,000. C pays to B ₹ 1,00,000 and B accepts them, in satisfaction of his claim on A. This payment is a discharge of the whole claim.</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>उदाहरण 49:</b> A पर B का ₹ 5,00,000 बकाया है। C, B को ₹ 1,00,000 देता है और B उसे A पर अपने दावे की संतुष्टि के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह भुगतान पूरे दावे का निर्वहन है।</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(viii) Effects of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance: If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. (Section 67)</p>                           | <p>(viii) वचनग्राही द्वारा वचनदाता को निष्पादन हेतु उचित सुविधाएँ प्रदान करने में उपेक्षा का प्रभाव: यदि कोई वचनग्राही, वचनदाता को उसके वचन के निष्पादन के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है, तो ऐसी उपेक्षा या इंकार के कारण हुई किसी भी अनिष्पादन के लिए वचनदाता उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। (धारा 67)</p>                                               |
| <p>(ix) Merger of rights: Sometimes, the inferior rights and the superior rights coincide and meet in one and the same person. In such cases, the inferior rights merged into the superior rights. On merger, the inferior rights vanish and are not required to be enforced.</p>                                                                               | <p>(ix) अधिकारों का विलय: कभी-कभी निम्न अधिकार और उच्च अधिकार एक ही व्यक्ति में एक साथ मिल जाते हैं। ऐसे मामलों में निम्न अधिकार उच्च अधिकारों में विलय हो जाते हैं। विलय होने पर निम्न अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उन्हें लागू कराने की आवश्यकता नहीं रहती।</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>Example 50:</b> A took a land on lease from B. Subsequently, A purchases that very land. Now, A becomes the owner of the land and the ownership rights being superior to rights of a lessee, the earlier contract of lease stands terminated.</p>                                                                                                         | <p><b>उदाहरण 50:</b> A ने B से एक भूमि पट्टे पर ली। बाद में, A उसी भूमि को खरीद लेता है। अब A उस भूमि का स्वामी बन जाता है और स्वामित्व अधिकार पट्टेदार के अधिकारों से श्रेष्ठ होने के कारण, पट्टे का पूर्व अनुबंध समाप्त हो जाता है।</p>                                                                                                                                                         |

~~~~~